राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in,मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/सा.प्र./रा.आ./130 दिनांक 18.02.2022

आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 दिनांक 13.02.2022 द्वारा कोविड़–19 महामारी के संबंध में पूर्व में जारी समस्त दिशा–निर्देश/आदेश/संशोधित आदेशों का अतिक्रमण कर इनके द्वारा लगाये गये समस्त प्रतिबंधों को निरस्त किया गया है।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी समस्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दिनांक 21.02.2022 से राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैंच– बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर तथा समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति (Physical Appearance) के माध्यम से ही प्रकरणों की नियमानुसार सुनवाई की जावेगी।

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– एफ 19 /सा.प्र./रा.आ./131–141 **दिनांकः–** 18.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर एवं कोटा। (जरिये ई–मेल से)
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान। (जरिये ई–मेल से)
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राजस्थान।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कॉजलिस्ट शाखा, राज्य आयोग।
11. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।

(रजिस्ट्रार)